न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 16/2025 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्री जीवनराम मीणा निवासी गली नं.1 सरस्वती कॉलोनी रोटेदा रोड कोटा जंक्शन मो0 8955431920

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कनवास, जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय   दिनांक: 24/10/25

1— अपीलार्थी श्री जीवनराम मीणा निवासी गली नं.1 सरस्वती कॉलोनी रोटेदा रोड कोटा जंक्शन मो0 8955431920 द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 23.08.2025 को लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार कनवास को ग्राम मौरूकलां मे (दरा स्टेशन) स्थित दुकान की रजिस्ट्री सन् 1969 में उपपंजीयक सॉगोद के यहा हुई थी। रजिस्ट्री में अंकित खसरा नं. को मेंशन करने के लिए तहसीलदार कनवास को निवेदन किया था जिसकी जॉच के लिए पटवारी और कानूनगो मोरूकला (दरा स्टेशन) आये ओर पटवारी जी ने मौका रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट की प्रति सूचना के अधिकार के तहत चाहने बाबत् आवेदन किया था किन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कनवास द्वारा प्रस्तुत सूचना के बिन्दु संख्या 2 यह अंकित किया की नक्शा मौका रिपोर्ट के आधार पर कानूनगो द्वारा किसी प्रकार की कोई भी लिखित रिपोर्ट तैयार नही की गई। प्रार्थी की दुकान की मौका रिपोर्ट प्राप्त नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई।

2— अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कनवास, जिला कोटा से टिप्पणी/जवाब हेतु उन्हें पत्रांकः रीडर/एडीएम/2025/508 दिनांक 26.09. 2025, से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कनवास द्वारा अपने पत्रांक

अति. जिला कलक्टर
कोटा

/आरटीआई/2025/07 दिनाक 29.09.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को भी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इस अपील में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिऐ सूचना पत्र क्रमांक 509 दिनांक 26.09.2025 भिजवाया गया,। अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि ग्राम मोरूकलां (दरा स्टेशन) में स्थित प्रार्थी की दुकान की तैयार की गई पटवारी या कानूनगो नक्शा/मौका रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाई जावे।

3.– पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार कनवास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/टिप्पणी मे अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्रांक/2025/06 दिनांक 12.09.2025 से भिजवाई जा चुकी है।

पत्रावली में संलग्न आवेदन पत्र जिससे अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कनवास से सूचना के अधिकार के तहत सूचना चाही गई थी का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा स्वंय उपस्थित होकर यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी की दुकान के संबध में पटवारी या कानूनगो द्वारा तैयार की गइ रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नही हुई है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कनवास की रिपोर्ट/टिप्पणी के अवलोकन के पश्चात अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार कनवास को आदेश दिये जाते है कि वह अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना, नियमानुसार देय हो तथा प्रार्थी को अब तक उपलब्ध नहीं करवाई गई हो तो आवश्यक रूप से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावें,।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कनवास को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एंव प्रथम अपीलीय
अधिकारी कोटा,जिला
कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा